FORM NO 111

(1)

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :– **अनिल कुमार** **बनाम** **साहबराम आदि**

धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. मुकदमा नं0:–126 /2018

	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
18	अभिभाषक वादी द्वारा वाद–पत्र पेश किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10.5.2018 वास्ते तलबी प्रतिवादीगण पेश हो।	
	10.5.18 पत्रावली कैम्प राजस्व लोक अदालत चोलीफाल में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने स्वयं हाजिर आकर राजीनामा पेश किया व प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने इकबाल दावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 5 श्री केस में जवाब स्टेट पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 6 का हित सुरक्षित रखते हुए तलबी बन्द की जाती है। मोहन वादी ने वादी अनिल का शपथ-पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। वादी व प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री करने का कथन किया। हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद-पत्र का कोई विरोध नहीं होने से वादी का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर जारी किया जाकर जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसला शुमार हो।	

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	10.5.2018 यह पत्रावली राजस्व कैम्प धोलीपाल में पेश हुई। अभिभाषक वादीगण व अभिभाषक प्रतिवादीगण उप0। अभिभाषक वादीगण व अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 ने दिनांक 10–05–2018 को राजीनामा प्रस्तुत किया हुआ है। राजीनामा प्रस्तुत होने तस्दीक किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 मुताबिक राजीनामा उक्त वादपत्र निस्तारण करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण संख्या–3 व 4 ने वादीगण के वादपत्र का विरोध न कर इकबालदावा प्रस्तुत करते हुये अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के पक्ष में तर्क इस इकबालदावा के जरिये कर दिया है तथा वादीगण के वादपत्र को डिक्री करने में सहमति दी है। प्रतिवादी संख्या–5 पैरोकाराराज हनुमानगढ़ का जबाव भी प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या–6 बैंक ने भी जबाव प्रस्तुत किया। वादी ने अपनी साक्ष्य में स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाये। वादी व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 ने राजीनामा मुताबिक वादपत्र का निस्तारण करना न्यायोचित है। अतः वादपत्र वादी मुताबिक राजीनामा इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि वादी अनिल कुमार पुत्र श्री साहबराम को चक 7 डीएलपी तहसील हनुमानगढ़ संख्या–49/49 के पत्थर नम्बर–140/187 (6) के किला नम्बर–1, 10, किला नम्बर–11/1 में 0.127 है0, पत्थर नम्बर–139/187 (7) किला नम्बर–5/0.227 + गै0मु0 0.026 है0 कुल 0.885 है0 मय गैरमु0 कृषि भूमि व इसी चक के खाता संख्या–72/65 के पत्थर नम्बर–140/187 (6) किला नम्बर–2, 3, 8, 9, 12 व किला नम्बर–13/0.228 है.+0.025, किला नम्बर–18, किला नम्बर–19/0.0228 है+0.025 है0गै.मु., किला नम्बर–22, 23 कुल 2.530 हैक्टेयर मय गै0मु0 कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या–1 साहबराम पुत्र श्री सहीराम को चक 9 डीएलपी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–54/54 के पत्थर नम्बर–125/186 (11) के किला नम्बर–4, 5, 7 तादादी 0.759 हैक्टेयर तथा चक 7 डीएलपी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–72/65 के पत्थर नम्बर–140/188 (33) के किला नम्बर–14, 15/0.228 + गै0मु0 0.025 है0 कुल 0.506 हैक्टेयर मय गै0मु0 कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या–2 सुनील कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार को चक 7 डीएलपी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–72/65 के पत्थर नम्बर–140/157 (6) के किला नम्बर–24, 25/0.228 +गै0मु0 0.025 है0, कुल 0.506 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन कृषि भूमि व पत्थर नम्बर–140/188 (33) के सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो इस हु... में ...
	किला नम्बर–4, 5/0.228 है0 +0.025 है0, 6/0.228 है0 + 0.025 है0, किला नम्बर–7–8–13 कुल 2.024 है0 मय गै0मु0 कृषि भूमि व व चक 7 डीएलपी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–58/61 में कुल खाता 1.518 है0 में से 0.253 हैक्टेयर प्राप्त हुई है। उक्तानुसार ही वादी व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये प्रतिवादी संख्या–1 का नाम कलमजन कर रकमराज अलग कायम करने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। हक परित्याग के पंजीयन स्टाम्प व खाता विभाजन स्टाम्प शुल्क पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो। बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को कैम्प धोलीपाल में सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner